प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखारीक्षक के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की लेखापरीक्षा के महत्तवपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है जिसे नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित किया गया है।

प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे पूर्ववर्ती अवधि मे ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हे पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, जहाँ भी आवश्यक हुआ है 2014–15 से पूर्व के प्रकरणों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।